क्रमांक 401-ज(II)-79/16774.—श्री गोपाल दास, पुत्र श्री माया राम, गांव शेखपुरा सोहाना, तहसील व जिला करनाल की दिनांक 26 जून, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोपालदास को मुल्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6072-र-III-70/1222, दिनांक 13 जनवरी, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती कृष्णा वन्ती के नाम रबी, 1977 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 313-ज (II)-79/16778.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपए
1	रोहतक	श्री बख्तावार सिंह, पुत्र श्री छाजू राम	बिसान	झज्जर	खरीफ़, 1976	150
2	,,	श्री किरपा राम, पुत्र श्री महीया राम	जैतपुर	,,	रबी, 1973	150

क्रमांक 275-ज (II)-79/16782.—श्री सरूप सिंह, पुत्र श्री राजिया गांव मातनहेल, तहसील झज्जर जिला रोहतक की दिनांक 29 मई, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सरूप सिंह को मुल्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8062-आर-ज(4)-67/499, दिनांक 2 फरवरी, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041/आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मथुरी देवी के नाम खरीफ 1978 से 150 रुपये, वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 9 अप्रैल, 1979

क्रमांक 532-ज(I)-79/16895.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रत्तन सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव खेरमपुर, तहसील फतेहाबाद, ज़िला हिसार, को रबी, 1974 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 325-ज(II)-79/16916.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्ककार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती दानकौर पत्नी श्री भगवान सिंह, गांव मदानाकलां, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 232-ज(II)-79/16920.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधिन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती बिशन देवी, विधवा श्री खचेड़ू राम, गांव घाटा, तहसील व ज़िला गुड़गांवा को खरीफ, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :